

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 769/2025

सिमरजीत कौर पुत्री पृथ्वीपाल सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, गांव 27 आरबी तहसील रायसिंहनगर
जिला श्री गंगानगर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर के माध्यम से
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	सुश्री रजनी कौशिक।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री तनुज जैन, श्री मुकेश दवे, डीवाई.जी.सी. के लिए।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

16/01/2025

1. याचिकाकर्ता यहाँ विज्ञापन दिनांक 05.05.2023 के अनुसरण में ओ.बी.सी. श्रेणी में नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति चाहती है।
 2. संक्षेप में, याचिका में जैसा कि अभिवचन किया गया है, प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से वर्ष 2003 में माध्यमिक स्कूल परीक्षा और वर्ष 2005 में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात, उसने पंजाब नर्स पंजीकरण
-

परिषद से नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा किया और वर्ष 2019 में इसे उत्तीर्ण किया। पंजाब नर्स पंजीकरण परिषद ने याचिकाकर्ता को दिनांक 10.08.2022 को प्रमाण पत्र जारी किया।

2.1 प्रतिवादी संख्या 2 ने 05.05.2023 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए कुल 6,981 रिक्तियों की घोषणा की गई थी। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

2.2 25.09.2023 को, याचिकाकर्ता ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में अपना आवेदन प्रस्तुत किया और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया। इसके बाद 29.08.2023 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने दस्तावेज़ सत्यापन के लिए एक नोटिस जारी किया। इस प्रक्रिया के दौरान, याचिकाकर्ता ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के अपने इरादे का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हालाँकि, 07.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती, 2023 के लिए अनंतिम सूची प्रकाशित की, लेकिन याचिकाकर्ता का नाम छोड़ दिया गया, जबकि उसके अंक अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक थे।

2.2 राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने 13.01.2024 को याचिकाकर्ता का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया, जो 31.12.2028 तक वैध है। याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ और प्रतिवादी संख्या 2 ने 06.12.2024 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित कर दी। ओ.बी.सी. (महिला) वर्ग के लिए कटऑफ अंक 66.922 निर्धारित किए गए थे, जबकि याचिकाकर्ता ने 71.140 अंक प्राप्त किए थे, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वन्द्वी तर्क सुने हैं।
 4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा याचिकाकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र 13.01.2024 को जारी किया गया था और पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा करने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र की तिथि अर्थात् 04.06.2023 ही थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास आवेदन पत्र जमा करने की तिथि तक पंजीकरण प्रमाणपत्र की योग्यता नहीं थी। अतः पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक योग्यता होने के कारण, कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जा सकता।
 5. याचिकाकर्ता का मामला मूलतः निम्नलिखित दो आधारों पर आधारित है:-
 - (क) उसके पास विज्ञापन में उल्लिखित कटऑफ तिथि अर्थात् 04.06.2023 तक आवश्यक डिग्री और योग्यताएं थीं, सिवाय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के।
 - (ख) याचिकाकर्ता दिनांक 10.08.2022 के प्रमाण पत्र के अनुसार पंजाब नर्स पंजीकरण परिषद में पहले ही पंजीकृत थी।
 6. विज्ञापन अनुसूची की सावधानीपूर्वक परीक्षण से पता चलता है कि दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि 02.09.2023 निर्धारित थी। याचिकाकर्ता, जिसका नाम क्रमांक 10698 पर था, को सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विधिवत आमंत्रित किया गया था। हालाँकि, निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के बावजूद, वह दस्तावेज़ सत्यापन के समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। हालाँकि, उसके पास पंजाब नर्स
-

पंजीकरण परिषद द्वारा जारी एक वैध प्रमाणपत्र था। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट तिथि पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण उसे अपात्र घोषित कर दिया गया।

7. इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा **राजकुमारी चाहर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य:**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15010/2023 नामक मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। उसी का प्रासंगिक अंश यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

9. जैसा कि हुआ, याचिकाकर्ता को 11.08.2023 को उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया और उसने दस्तावेज़ सत्यापन दौर के समाप्त होने से पहले इसे तुरंत जमा कर दिया। इसके बावजूद, उसका प्रमाणपत्र इस बहाने से अस्वीकार कर दिया गया कि उसने 10.08.2023 को इसे प्रस्तुत नहीं किया था। मुझे प्रतिवादीगण का यह दृष्टिकोण न केवल अत्यधिक पांडित्यपूर्ण लगता है, बल्कि तकनीकी पहलुओं पर उनके अनुचित आग्रह का भी संकेत देता है। यह देखते हुए कि उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था कि दस्तावेज़ सत्यापन 16.08.2023 तक चलेगा, उन्हें याचिकाकर्ता का प्रमाणपत्र अस्वीकार नहीं करना चाहिए था, जो अन्यथा निर्विवाद है। केवल इसी आधार पर, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना अमान्य माना जाता है।

10. प्रासंगिक रूप से, विज्ञापन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि पात्रता योग्यता शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्य के होम्योपैथी बोर्ड में प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए किसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, होम्योपैथी स्नातक बनने के बाद पंजीकरण को अतिरिक्त योग्यता नहीं, बल्कि केवल एक तकनीकी औपचारिकता माना जाना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण पत्र को योग्यता नहीं माना जा सकता।

इसके अलावा, भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, विज्ञापन में एक संशोधन प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जिसमें सामान्यतः एक प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए कि नियुक्ति पत्र जारी होने की एक निश्चित

समय-सीमा के भीतर उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर नियुक्तियाँ अनंतिम होंगी। ऐसा न करने पर उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी और फिर यह अवसर अगले योग्य उम्मीदवार को दे दिया जाएगा। इससे केवल तकनीकी आधार पर अधिक योग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा।

11. मैं यहाँ यह जोड़ना चाहूँगा कि यदि प्रतिवादियों का बचाव पक्ष मान्य होता है, तो इससे एक असंगत स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग-अलग होगी, जो इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के लिए कब बुलाया गया है। ऐसे में कुछ उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक दस्तावेज़ सत्यापन तिथि की अंतिम तिथि अलग-अलग होगी, जबकि अन्य को बाद में बुलाए जाने का अनुचित लाभ मिलेगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पात्रता की गणना योग्यता के अनुसार की जाएगी, जो कि शैक्षणिक योग्यता प्रतीत होती है।

12. मेरे द्वारा दिए गए एक पूर्व निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसे मैंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अवर न्यायाधीश के रूप में दिनांक 28.01.2022 को **सिविल रिट याचिका संख्या 16902/2020 (सीमा बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य)** में दिया था। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:

“7. यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करने से पहले भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के तहत अपनी अनिवार्य रोटेटरी इंटरनशिप पूरी कर ली थी। इंटरनशिप के बाद, हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने 27.12.2018 को एमबीबीएस परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर याचिकाकर्ता को 26.03.2019 को पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 26.03.2019 को क्रमांक P-9934 तहत अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करना विवादित नहीं है। यह पंजीकरण

प्रमाण पत्र, निस्संदेह, यह उल्लेख करता है कि यह केवल एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए इंटरशिप पूरा करने के लिए मान्य है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसके उपयोग पर किसी भी तरह के प्रतिबंध/निषेध के लिए कोई वैधानिक प्रावधान अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया है। इसलिए, हरियाणा मेडिकल काउंसिल के साथ 26.03.2019 को याचिकाकर्ता के पंजीकरण का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक P/2) प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि यानी 22.01.2020 को उसकी पात्रता के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है।

8. जैसा कि बताया गया है, पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22.01.2020 थी। याचिकाकर्ता ने पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पाँच दिन पहले दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आवेदन किया था। सामान्य तौर पर, कोई यह समझ नहीं पाता कि मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रदान करने के आवेदन पर क्यों विचार कर रही है, जबकि यह महज एक औपचारिकता प्रतीत होती है। न तो ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले उम्मीदवार की कोई योग्यता निर्धारित की जानी है और न ही पंजीकरण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त योग्यता है जिसके लिए काउंसिल द्वारा उम्मीदवार की जाँच की आवश्यकता हो। वास्तव में, पंजीकरण कमोबेश एक अधिकार के रूप में, वह भी एकतरफा, केवल पंजीकरण पत्र के लिए आवेदन की सामग्री और उसके साथ संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को देखने के बाद प्रदान किया जाता है। वास्तव में, पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया और तरीके को देखते हुए, यह कहना उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है कि एक बार पंजीकरण प्रदान कर दिए जाने के बाद, चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, यह आवेदन की तिथि से ही लागू होना चाहिए और प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि की औपचारिकता को केवल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के

रूप में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में, यह आवेदन के अपेक्षित प्रारूप के तहत आवेदन करने की तिथि से प्रभावी होता है। किसी भी स्थिति में, पंजीकरण प्रदान करने में चिकित्सा परिषद की ओर से हुई प्रक्रियात्मक देरी के लिए याचिकाकर्ता को कोई नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, मेरा यह सुविचारित मत है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र एक सारवान योग्यता न होकर, केवल एक अनुसचिवीय औपचारिकता मात्र है। इस संबंध में कोई परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाता; बल्कि, यह केवल आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाता है।
9. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। तदनुसार, प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा आवेदित श्रेणी में उसकी अभ्यर्थिता पर विचार करें। यदि अन्यथा योग्य पाई जाती है, तो याचिकाकर्ता को प्रश्नगत पद पर उस तिथि से नियुक्ति की पेशकश की जाएगी, जिस तिथि से उसी विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करने वाले अन्य सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी।
10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

184-धनंजय.एस/आर.माथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate